

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र:-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 278]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 मई 2010—वैशाख 17, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 मई 2010

क्र. एफ-ए 3-10-2010-1-पांच (57).—मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16, सन् 1995) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वृत्ति कर नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में—

(1) नियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“3क. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन का इलेक्ट्रॉनिक रीति में फाइल किया जाना.—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी नियोक्ता या किसी व्यक्ति द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हार्ड कापी के साथ या उसके बिना, वैब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार विभाग की शासकीय वैब पोर्टल (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) के माध्यम से अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हार्ड कापी के साथ या उसके बिना हस्ताक्षर के, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक रीति में यथास्थिति, प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में प्रस्तुत करेगा. ऐसे आवेदन को नियम 3 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.”

(2) नियम 12-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(12-क) विवरणी की इलेक्ट्रॉनिक रीति में फाईलिंग.—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों के संबंध में, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कोई नियोक्ता या कोई व्यक्ति वैब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार विभाग की शासकीय वैब पोर्टल (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) के माध्यम से अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट हार्ड कापी सहित या

उसके बिना, डिजिटल हस्ताक्षर से या उसके बिना इलेक्ट्रॉनिक रीति में यथास्थिति, प्ररूप 7 या प्ररूप 9 में विवरणी प्रस्तुत करेगा. ऐसी विवरणी को नियम 11 तथा 12 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 मई 2010

क्र. एफ-ए 3-10-2010-1-पांच (57).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-(ए)-3-10-2010-1-पांच (57), दिनांक 7 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 7th May 2010

No. F-A-3-10-2010-1-V(57).—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhinyam, 1995 (No. 16 of 1995), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Vritti Kar Niyam, 1995, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) After rule 3, the following rule shall be inserted, namely:—

“3A. **Electronic filing of application for grant of certificate of registration.**—The State Government may, by notification, provide that an application for grant of registration certificate under section 8 shall be furnished by an employer or a person specified in the said notification with or without a hard copy as specified in the notification, electronically in Form 1 or Form 3, as the case may be, with or without digital signature, as may be specified through the official web portal of the department (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) in accordance with the instructions given in the web portal. The provisions of rule 3 shall mutatis mutandis apply to such application.”

(2) For rule 12-A, the following rule shall be substituted namely:—

“12 A. **Electronic filing of return.**—The State Government may, by notification, provide that in respect of the periods starting on or after the date specified in the said notification an employer or a person specified in the said notification shall, with or without a hard copy as specified in the notification, submit return electronically in Form 7 or Form 9, as the case may be, with or without digital signature, as may be specified, through the official web portal of the department (www.mptax.net/www.mptax.gov.in) in accordance with the instruction given in the web portal. The provisions of rules 11 and 12 shall mutatis mutandis apply to such return.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.